फा.सं.स्था.-1030/1/2017

राष्ट्रीय महिला आयोग

भूखंड सं. 21, जसोला संस्थानिक क्षेत्र
नई दिल्ली- 110025

तारीख: 14 अगस्त, 2017

विषय: आयोग की 176वीं बैठक का अभिलेख टिप्पण - के संबंध में।

आयोग की 176वीं बैठक तारीख 31 जुलाई, 2017 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग, के एबी-3, पंडारा रोड, नई दिल्ली 110003 पर स्थित शिविर कार्यालय में आयोजित की गई बैठक का कार्यवृत्त जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न है।

2. यह अनुरोध है कि यदि उपर्युक्त बैठक और कार्यसूची मदों के संबंध में कोई विनिश्चय किया गया है और उसकी बाबत की गई कार्रवाई की रिपोर्ट, यदि कोई हो तो उसे आयोग की आगामी बैठक के समक्ष यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाए।

(आर.सी.आहूजा)
अवर सचिव

सलंग्न: यथा उपरोक्त

सेवा में:

1. अध्यक्ष के निजी सचिव
2. सदस्य(रेखा शर्मा), सदस्य(सुषमा साहू), सदस्य (आलोक रावत) के निजी सचिव
3. सदस्य-सचिव के निजी सचिव
4. संयुक्त सचिव के निजी सचिव
5. उप सचिव के निजी सहायक
6. अवर सचिव(आर.सी.)/वेतन और लेखा अधिकारी

राष्ट्रीय महिला आयोग

माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के ए.बी.-3 पंडारा रोड, नई दिल्ली- 110003 में अवस्थित शिविर कार्यालय में तारीख 31 जुलाई, 2017 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में आयोजित की गई आयोग की 176वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे:-

1.	सुश्री ललिता कुमारमंगलम	अध्यक्ष
2.	आलोक रावत	सदस्य
3.	डा. सतबीर बेदी	सदस्य-सचिव

बैठक में निम्नलिखित भी उपस्थित थे:-

1.	श्री कुन्दल लाल शर्मा	संयुक्त सचिव
2.	श्री वी.वी.बी.राजू	उप सचिव

आरंभ में सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग ने आयोग की बैठक में उपस्थित अध्यक्ष, सदस्यों और मौजूद अन्य अधिकारियों का स्वागत किया ।

इसके पश्चात् निम्नलिखित कार्यसूची मदों पर विचार-विमर्श किया गया:-

कार्यसूची मद सं. 1:

तारीख 20 जुलाई, 2017 को आयोजित आयोग की 175वीं बैठक का कार्यवृत्त।

आयोग द्वारा तारीख 20 जुलाई, 2017 को आयोजित आयोग की 175वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्यसूची मद सं. 2:

'घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 से महिलाओं के संरक्षण के अधीन संरक्षण अधिकारी: विपद्ग्रस्त को सांत्वना प्रदान करने में वे कहां तक सफल रहे हैं' पर अनुसंधान अध्ययन की रिपोर्ट ।

कार्यसूची मद के पैरा 13 में के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया और यह विनिश्चय किया गया कि संबंधित अधिकारियों के साथ इस विषय का अनुशीलन किया जाए।

(कार्रवाई: पीपीएमआरसी प्रकोष्ठ)

कार्यसूची मद सं.3:

'जी.डी.पी. में महिलाओं के अंशदान के आर्थिक मूल्य का प्राक्कलन करने की संभावना की गवेषणा' पर अध्ययन रिपोर्ट ।

कार्यसूची मद के पैरा 12 में के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया और विनिश्चय किया गया कि संबंधित प्राधिकारियों के साथ इस विषय का अनुशीलन किया जाए।

(कार्रवाई: पीपीएमआरसी प्रकोष्ठ)

कार्यसूची मद सं.4:

जसोला स्थित राष्ट्रीय महिला आयोग में सम्मेलन भवन(कांफ्रेंस हाल) का आधुनिकीकरण - मैसर्स उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड।

आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग के सम्मेलन भवन का आधुनिकीकरण के लेखे में 21,78,715 रूपये का व्यय उपगत करने के लिए कार्योत्तर अनुमोदन किया।

(कार्रवाई: प्रशासन अनुभाग)

कार्यसूची मद सं.5:

दैनिक मजदूर चालकों को कार्यमुक्त करने का प्रस्ताव।

मुल्तवी किया गया।

(कार्रवाई: प्रशासन अनुभाग)

कार्यसूची मद सं.6:

पश्चिम बंगाल में बन्द चाय बगानों के शासकीय दौरे पर रिपोर्ट।

आयोग ने रिपोर्ट का अनुमोदन किया और यह विनिश्चय किया गया कि संबंधित प्राधिकारियों के साथ सिफारिशों का अनुशीलन किया जाए।

(कार्रवाई: शिकायत और अन्वेषण प्रकोष्ठ)

कार्यसूची मद सं.7:

महिलाओं के विधिक अधिकारों के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए पूरे राष्ट्र में प्रतिस्पर्धा।

आयोग ने प्रस्ताव का समर्थन किया और यह इच्छा व्यक्त की कि सभी संबंधित व्यक्तियों के साथ अनुशीलन किया जाए।

(कार्रवाई: पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ और विधिक प्रकोष्ठ)

अन्य मद :

आयोग ने यह भी विनिश्चय किया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि असम में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन दिसम्बर 2017/जनवरी 2018 तक मुल्तवी कर दिए गए हैं ओर पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ई.डब्ल्यू.आर.एस.) के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए पहली किस्त पहले की एन.आई.आर.डी. को निर्मोचित कर दी गई है, दो/तीन पूर्वोत्तर राज्यों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की सम्भाव्यता का पता लगाया जाए। आयोग ने यह भी विनिश्चय किया कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित करने की संभावनाओं का भी पता लगाया जाए।

(कार्रवाई: पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ और पीपीएमआरसी प्रकोष्ठ)

अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव पारित करके बैठक समाप्त की गई।

(डा. सतबीर बेदी)
सदस्य सचिव, रा.म.आ.

(ललिता कुमारमंगलम)
अध्यक्ष, रा.म.आ.